कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा

क्रमांक/रीडर/17/ ५१

दिनांक/31.1.2018

संशोधित आदेश

तहसीलदार उनियारा ने प्रांसगिक पत्र भेज कर निवेदन किया है कि न्यायालय के वाद संख्या 10/2017 निर्णय दिनाक 10.1.2018 उनवान राधेश्याम बनाम राधाकिशन आराजी खसरा 2664 रकबा 2.53 है0 वाके ग्राम उनियारा मे दावा बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय किया गया है। इसमे पूर्व कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जबकि पूर्व कुर्रेजात रिपोर्ट मे उक्त खातेदारान कि भूमि पी0एन0 बी शाखा उनियारा मे 1/2 हिस्सा रहन बताया गया है। जबकि वर्तमान मे तहसीलदार उनियारा मे पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भेज कर निवेदन किया है कि उक्त खातेदारान कि भूमि पी0एन0 बी शाखा उनियारा मे 2/3 हिस्सा रहन है।

मूल दावा व तहसीलदार उनियारा कि रिपोर्ट का मनन किया गया। दावा संख्या 10/2017 निर्णय दिनाक 10.1.2018 के अनुसार उक्त खातेदारान कि भूमि पी0एन0 बी शाखा उनियारा मे 1/2 हिस्सा रहन के स्थान पर उक्त खातेदारान कि भूमि पी0एन0 बी शाखा उनियारा मे 2/3 हिस्सा रहन पढा जावे। अतः निर्णय मे संशोधित किया जाता है।

संशोधित आदेश आज दिनाक 31.1.2018 को जारी किया जाता है।

(कैलाश चन्द गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी उनियारा

जिला टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 10/2017

निर्णय दिनांक:– 10.1.2018

उनवान

1–राधेश्याम पुत्र रामनाराणय जाति काछी निवासी उनियारा तहसील उनियारा

–वादी

बनाम

1–राधाकिशन पुत्र रामनारायण जाति काछी निवासी उनियारा तहसील उनियारा

2– तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादी

दावा बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेंधाज्ञा

उपस्थित– श्री बेणी प्रसाद मीना वादी वकील

श्री प्रेमचन्द जैन प्रतिवादी वकील

निर्णय

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी न01 के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2664 रकबा 2.53 है0 वाके उनियारा तहसील उनियारा मे स्थित मे है।वादग्रस्त आराजीया तमे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनरूप मौके पर मौखिक विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है।विधिवत विभाजन नही होने के कारण प्रतिवादी न01 के दि लमे बेईमानी आ गई है तथा वह वादी को नाजायत परेशान करने व उसके हिस्से मे आई भुमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा है,जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी उपस्थित। वादी व प्रतिवादी ने उपस्थित होकर 50रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा बटवारा कृर्षि भुमि का आपसी सहमति का विभाजन करने का पेश किया गया। वादी व प्रतिवादी ने आपसी सहमति निर्णय हेतु जाहिर कि गई है। उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तकासमा कराने

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हेतु सहमत होने पर तहसीलदार उनियारा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कि गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्टनुसार निम्न प्रकार है:–

कम	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	लगाान
1	राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पी0एन0 बी शाखा उनियारा मुर्त	2664/1	1.26	10.08
2	राधाकिशन पुत्र रामनारायण जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पी0एन0 बी शाखा उनियारा मुर्त	2664/2	1.26	10.08
3	राधाकिशन, राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पी0एन0 बी शाखा उनियारा मुर्त	2664/3	0.01	0.08 गै0मु0 चाह

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का मनन किया गया। तहसीलदार उनियारा की कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर विभाजन किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिकीपर्चा जारी हो। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । पत्रावली दफतर दाखिल किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनाक 10.1.2018 को सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या :– 10/2017
निर्णय दिनांक:– 10.1.2018

उनवान

1–राधेश्याम पुत्र रामनाराणय जाति काछी निवासी उनियारा तहसील उनियारा

–वादी

बनाम

1–राधाकिशन पुत्र रामनारायण जाति काछी निवासी उनियारा तहसील उनियारा
2– तहसीलदार उनियारा जिला टोक

–प्रतिवादी

दावा बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश गुर्जर आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि आ0ख0न0 2664 कुल किता 1 कुल रकबा 2.53 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड व मोके के अनुसार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

कम	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	लगाान
1	राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पी0एन0 बी शाखा उनियारा मुर्त	2664/1	1.26	10.08
2	राधाकिशन पुत्र रामनारायण जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पी0एन0 बी शाखा उनियारा मुर्त	2664/2	1.26	10.08
3	राधाकिशन, राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति काछी सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पी0एन0 बी शाखा उनियारा मुर्त	2664/3	0.01	0.08 गै0मु0 चाह

तहसीलदार उनियारा को उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्चा अपना–अपना वहन करे। मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज दिनांक 10.1.2018 को जारी की गई।

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उप उनियारा

Scanned by CamScanner